झारखंड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांकः—3 / पी०एम०सी० / प्र०स्वी0 / 62 / 2013................................. / राँची, दिनांकः ....

प्रेषकः

ई० मुक्तिसाधन चौरसिया
उप सचिव (अभि०)

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखंड, हिनू, राँची

द्वाराः आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग।

विषयः—सिंचाई यॉंत्रिक प्रमण्डल, राँची अन्तर्गत कंसजोर जलाशय योजना एवं खतवा वीयर योजना के अन्तर्गत आउटलेट गेटों, H/R, C/R एवं उत्तोलन प्रणाली इत्यादि के निर्माण एवं जीर्णोद्धार कार्य हेतु ₹56,85,500/- (छप्पन लाख पचासी हजार पाँच सौ) मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश—स्वीकृत।

1. सिंचाई यॉंत्रिक प्रमण्डल, राँची के क्षेत्राधीन कंसजोर जलाशय योजना एवं खतवा वीयर योजना के गेटों के निर्माण एवं जीर्णोद्धार कार्यो के लिए **₹56,85,500/- (छप्पन लाख पचासी हजार पाँच सौ)** मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती है :-

i.	कंसजोर जलाशय योजना के दांये आउटलेट गेटों को बदलने सहित इसके बांयी एवं दांयी मुख्य नहरों के विभिन्न बिदुओं पर H/R गेटों का निर्माण एवं अधिष्ठापन।	-	**रू० 54,57,100.00**
ii.	खतवा वीयर योजना के गेटों का जीर्णोद्धार कार्य।	-	**रू० 2,28,400.00**
	प्रशासनिक स्वीकृति हेतु राशि का योगः—		**₹ 56,85,500/-**

2. इस कार्य के लिए कार्यपालक अभियंता, सिंचाई यॉंत्रिक प्रमंडल राँची निकासी एंव व्ययन पदाधिकारी होगें तथा मुख्य अभियंता (यांत्रिक), जल संसाधन विभाग, राँची नियंत्री पदाधिकारी होगे।

3. **इस कार्य पर होने वाला व्यय :—**

मुख्य शीर्ष 4701— मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय—उपमुख्य शीर्ष—80—सामान्य लघुशीर्ष—796—जन जातिय क्षेत्र उपयोजना —उपशीर्ष—46—सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन—विस्तृत शीर्ष—05—निर्माण—43—अनुरक्षण मरम्मति एवं सुसज्जीरकण (सामग्री)

के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

4. इस कार्य का समावेश वर्ष 2015—16, के सी०ओ०बी०टी० में समेकित रूप में है।
5. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम '300 का अनुपालन दृढता से किया जायेगा।
6. राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची से की जायेगी।
7. किसी भी स्थिति में राशि की निकारी बजट उपबंध के अन्तर्गत होगा।
8. इस कार्य को वित्तीय वर्ष 2015—16, में प्रारंभ कर एक वर्ष के अन्दर पूर्ण कर लिया जायेगा।
9. इसके कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय समय पर निर्गत निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

10. प्रावधानित लौह सामग्रियों में से निकलने वाले लौह सामग्रियों का 40% राशि संवेदक के विपत्र से कटौती कर सरकारी राजस्व में जमा करना होगा।

11. इसके कार्यान्वयन के पूर्व पुर्नस्थापन कार्य के संबंध में विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत दिशा निदेश का अनुपालन सक्षम तकनीकी पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा एवं तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

12. इस कार्य की फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी, कार्य के प्रारम्भ, कार्य के दौरान एवं कार्य के पूर्ण होने पर करा लिया जायेगा।

13. इस पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

14. प्रस्ताव पर विभागीय प्रधान सचिव महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

15. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखंड, राँची को संसूचित किया जाय।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–

(मुक्ति साधन चौरसिया)

उप सचिव (अभि०)

पत्रांकः–3/पी०एम०सी०/प्र0स्वी0/62/2013................................../राँची, दिनांकः ....

प्रतिलिपिः आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, झारखंड को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखंड, राँची को संसूचनार्थ/ योजना–सह–वित्त विभाग, झारखंड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

ह०/–

(मुक्ति साधन चौरसिया)

उप सचिव (अभि०)

पत्रांकः–3/पी०एम०सी०/प्र0स्वी0/62/2013................................../राँची, दिनांकः ....

प्रतिलिपिः कोषागार, पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित्।

ह०/–

(मुक्ति साधन चौरसिया)

उप सचिव (अभि०)

पत्रांकः–3/पी०एम०सी०/प्र0स्वी0/62/2013................................../राँची, दिनांकः ....

प्रतिलिपिः प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची/संयुक्त सचिव (अभि०) जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख–I, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता (यॉंत्रिक) जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमण्डल सं०–1, सिमडेगा/कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमण्डल, गुमला/अधीक्षण अभियंता (यॉंत्रिक) सिंचाई यॉंत्रिक अंचल, राँची/कार्यपालक अभियंता, सिंचाई यांत्रिक प्रमंडल, राँची/अधीक्षण अभियंता योजना, मोनिटरिंग एंव आयोजन अंचल–1/2/3 राँची एवं प्रशाखा पदाधिकारी–7 जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

ह०/–

(मुक्ति साधन चौरसिया)

उप सचिव (अभि०)

पत्रांकः–3/पी०एम०सी०/प्र0स्वी0/62/2013................................../राँची, दिनांकः ....

प्रतिलिपिः आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल को सूचनार्थ प्रेषित् करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिलान्तर्गत माननीय सांसद एवं विधायक को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह०/–

(मुक्ति साधन चौरसिया)

उप सचिव (अभि०)

पत्रांकः–3/पी०एम०सी०/प्र0स्वी0/62/2013 25/15-165 स्वी. **/राँची, दिनांकः** 17.08.2015

प्रतिलिपिः वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

17/8/15

(मुक्ति साधन चौरसिया)

उप सचिव (अभि०)

17/08/15